

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0026012

मेसर्स राजशिल रियलटर्स.,
 402, शातीमार कॉर्पोरेट सेन्टर,
 8, साऊथ तुकोगंज,
 इन्दौर

— आवेदक

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग,
 मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
 इन्दौर — अनावेदक

विरुद्ध

(आदेश दिनांक 13.03.2013)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के प्रकरण क्रमांक W0210611 मेसर्स राजशिल रियलटर्स विरुद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर, में पारित आदेश दिनांक 20.01.2012 का पालन विद्युत वितरण कंपनी इन्दौर के प्रबंध संचालक कार्यालय द्वारा न किये जाने के कारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु उक्त आवेदन पत्र आवेदक उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक उपभोक्ता ने अपने आवेदन में मुख्य रूप से यह लेख किया है कि फोरम में अनावेदक कार्यपालन यंत्री को जो कार्यवाही करने का आदेश दिया था उसका पालन उसके द्वारा नहीं किया गया है तथा पालन प्रतिवेदन भी फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना चाहिये।

3. इस मामले में अनावेदक को नोटिस जारी किया गया परन्तु फोरम के आदेश का पालन क्यों तथा किन परिस्थितियों में अनावेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में अनावेदक की ओर से कोई जानकारी विधिक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. उक्त परिस्थितियों में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि फोरम के आदेश का पालन न किये जाने के कारण उपभोक्ता के शिकायत पर विद्युत लोकपाल द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है?

5. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (6) का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई उपभोक्ता फोरम के अधीन अपनी शिकायत/व्यथा के निवारण न हो सकने से दुखी है तो वह अपनी व्यथा या शिकायत "OMBUDS-MAN" के समक्ष अभ्यावेदन के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

6. इस मामले में आवेदक उपभोक्ता के शिकायत का निराकरण फोरम द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में OMBUDS-MAN को शिकायत का निराकरण नहीं करना है।

7. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 के प्रावधानों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्येक वितरण लायसेंसी को विद्युत सप्लाई की आवश्यकता का आवेदन प्राप्त करने के पश्चात एक माह के भीतर परिसरों को विद्युत सप्लाई देने का दायित्व है। इस धारा का उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार

यदि वितरण लायसेंसी विनिर्दिष्ट कालावधि में विद्युत सप्लाई में विफल रहता है तो उस पर पेनाल्टी निर्धारित की जा सकती है।

8. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (2) की उपधारा (17) में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को परिभाषित किया गया है तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही उपभोक्ता को शिकायतों का निराकरण करने के लिये फोरम की स्थापना की जाती है।

9. इस मामले में उपभोक्ता द्वारा फोरम के समक्ष जो शिकायत की गई है उसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है अपितु ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी, कार्यपालन यंत्री को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। कार्यपालन यंत्री को विद्युत अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधि वैधानिक रूप से मान्य नहीं किया जा सकता है।

10. विद्युत अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार समुचित आयोग के समक्ष यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यह शिकायत की जाती है कि अधिनियम के उपबन्धों या ऐसे उपबन्धों के आधीन नियमों या विनियमों का या आयोग द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश का उल्लंघन किया गया है तो आयोग ऐसे व्यक्ति को सुने जाने के पश्चात पेनाल्टी का निर्धारण कर सकता है।

11. उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता/आवेदक की शिकायत का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उसके द्वारा विद्युत सप्लाई का दायित्व निर्वाहन करने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी को पक्षकार के रूप में संजोजित नहीं किया गया है तथा फोरम के आदेश का पालन अनावेदक द्वारा न किये जाने पर फोरम के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिती में OMBUDS-MAN को उपभोक्ता की शिकायत पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपभोक्ता चाहे तो फोरम के समक्ष विधिवत आवेदन पत्र पेश कर सकता है।

12. तदानुसार आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

13. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित।
3. फोरम की ओर प्रेषित।

विद्युत लोकपाल